निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना 2014

योजना का विवरण– (1) प्रस्तावना– भवन और अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम की धारा 22 (1) (ज) सहपठित मध्यप्रदेश नियम, 2002 के नियम 277 (1) के अंतर्गत निर्माण श्रमिक जोकि म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अंतर्गत वैध परिचय पत्रधारी नही है/ पंजीकृत नही है की निर्माण कार्य के दौरान मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि तथा अनुग्रह राशि तथा स्थायी अपंगता की स्थिति में अनुग्रह राशि के भुगतान के लिये यह योजना होगी।

पात्रता– (1) 18 से 60 वर्ष की उम्र के निर्माण श्रमिक इस योजना के लिये पात्र होंगे,

उत्तराधिकारी– परिचय पत्रधारी निर्माण श्रमिक का पति/पत्नि (यथास्थिति अनुसार) तथा इनके नही होने पर पुत्र तथा अविवाहित एवं आश्रित पुत्रियां, किसी अविवाहित या ऐसे निर्माण श्रमिक जिसके पति/पत्नि या पुत्र/पुत्री न हो तो उसके पिता/माता को उत्तराधिकारी समझा जावेगा। इन सब के नही होने पर ऐसा व्यक्ति जो उस पर आश्रित हो उत्तराधिकारी होगा।

अंत्येष्टि सहायता – निर्माण श्रमिक की स्वयं की मृत्यु के तत्काल पश्चात रू. 3000 अंत्येष्टि सहायता दी जायेगी।

अनुग्रह राशि– योजनांतर्गत निम्नानुसार अनुग्रह राशि देय होगी :–

1. सामान्य मृत्य की दशा में –
   (i) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष या कम होने पर रू. 75 हजार।
   (ii) निर्माण श्रमिक की आयु 45 वर्ष से अधिक होने पर रू. 25 हजार।

2. दुर्घटना में मृत्यु होने पर रू. 1 लाख
3. दुर्घटना में स्थायी अपंगता पर रू. 75 हजार

आवेदन के साथ वांछित अभिलेख :–

1. एफ.आय.आर. एवं पंचनामे की प्रति।
2. मृत्यु की स्थिति में पोस्टमार्टम रिपोर्ट।
3. स्थाई अपंगता की स्थिति में जिला मेडीकल बोर्ड में प्राप्त विकलांगता प्रमाण–पत्र।

उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त की जावे।

मृत्यु के तीन माह तक प्राप्त आवेदन ही स्वीकृति योग्य होंगे।

अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि के लिये अपात्र – अंत्येष्टि राशि तथा अनुग्रह राशि का भुगतान जानबूझकर की गई आत्महत्या या मादक दृव्यो या पदार्थो के सेवन से हुयी मृत्यु अथवा अपराध करने के उद्देश्य से कानून का उल्लंघन करके एक दूसरे से हुयी मारपीट से हुई मृत्यु की स्थिति में उक्त राशि प्रदान नही की जायेगी।

सक्षम अधिकारी – अंत्येष्टि सहायता तथा अनुग्रह राशि की स्वीकृति तथा अपील के लिये सक्षम अधिकारी निम्न सारणी अनुसार होंगे

<u>सारणी</u>

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय–सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय–सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
1	2	3	4	5	6	7
1.	मृत्यु की दशा में अनुग्रह सहायता योजना का लाभ प्रदान करना	**ग्रामीण क्षेत्र** मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत	30 कार्य दिवस	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	30 कार्य दिवस	कलेक्टर
		शहरी क्षेत्र अ. आयुक्त, नगर निगम	30 कार्य दिवस	कलेक्टर	30 कार्य दिवस	संभागायुक्त
		ब. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर	30 कार्य दिवस	अनुविभागीय अधिकारी,	30 कार्य दिवस	कलेक्टर